

5/12/20

आदेश पत्रक
आयुक्त, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

52

वाद सं०- 17 / 2019
धारा-107 द०प्र०सं०


झारखण्ड सरकार बनाम जोइन तिर्की वर्ग

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	<p>अभिलेख सं०-एम. 17 / 2019 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>तमाड</u> के अप्राथमिकी सं०- 08/19 दिनांक- 19.03.19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि दिनांक- 06.5.19 को लोकसभा चुनाव के अवसर पर शांति भंग होने की संभावना है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 01/05/19 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

आदेश की क्रम सं० एवं
तारीख

25-05-19

अभिलेख उपस्थापित । दिनांक पर
उपस्थापित । लोक श्रमा चुनाव 2019
बतौर पूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया
है अतः बाद के अभिलेख की कार्रवाई
बन्द की जाती है


25/05/19

00

10-